



कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टॉक रोड जयपुर-302015, राजस्थान)



क्रमांक :- स्वच्छ सर्वेक्षण 2022/ननिज ग्रेटर/2021/70

दिनांक :- 13-12-2021

सार्वजनिक सूचना

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.08.2021 को अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 प्रकाशित किये गये हैं। उक्त अधिसूचना में 01 जुलाई 2022 से पॉलीजीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीजीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग निषेध किया गया है। एकल प्रयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) की श्रेणी में निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं:-

1. प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बडस, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झांडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टाइरीन की सजावटी सामग्री।
2. प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मक, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिपर।

उक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 30 सितम्बर 2021 से <75 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक कैरी बेग को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त प्रतिबंध सीवरों एवं सैपिटक टैंकों की चोकिंग की समस्या को कम से कम करने के लिए भी आवश्यक है।

अतः नगर निगम ग्रेटर जयपुर के समस्त आम नागरिकों/व्यवसायियों/संस्थाओं इत्यादि को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। सूचित रहे।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
आई.ए.एस.

आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, ननिज ग्रेटर।
2. नोडल अधिकारी, स्वच्छ सर्वेक्षण-2022, ननिज ग्रेटर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी को भेजकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना को प्रमुख-प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर प्रकाशित अंक की एक प्रति नोडल अधिकारी, स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यालय में भिजवाये जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना को नगर निगम ग्रेटर जयपुर की साईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाईल।

आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर